पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/मु॰मेदिनी॰–01–04/2019 ज॰सं॰– 260

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 20/02/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी शिविर–मेदिनीनगर को अमानत बराज योजना हेतु रू 48.32 लाख निधि का आवंटन।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–44 प्र॰स्वी॰ दिनांक –04.03.2003 Online AA- 1069/10.08.18

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80–सामान्य	800–अन्य व्यय/ 64–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45–निर्माण कार्य विपत्र कोड–49**S**470180800640545	**48.32** (लाख रू)

आवंटित राशि – रू अड़तालीस लाख बत्तीस हजार मात्र ।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के बजट उपबंध राशि **रू 9100.00 लाख** (एकानबे करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

19/2/20
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 260 राँची, दिनांक :– 20/2/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/पलामू** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/20
(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :– 260 राँची, दिनांक :– 20/02/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि.)	(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय) संयुक्त सचिव	19/2/20 (अमिताभ कौशल) सचिव

परिशिष्ट–1

विभागीय पत्रांक 260 दिनांक 20/2/2020 का अनुलग्नक

मुख्य शीर्ष–4701, 80–सामान्य
लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय,
उपशीर्ष–64–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत
चालू योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य
बजट उपबंध (2019–20) –रू 9100.00 लाख

(राशि लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2019 तक व्यय	वर्ष 2019–20 में			On-Line Alottment Access No	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	औरंगा निमार्ण प्रमंडल, पांकी शिविर– मेदिनीनगर (PLMIRR009)	मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	34110.91	44/ 04.03.2003	31746.51	0.00	23.00	23.00	46979	Environmental clearance for Amanat Barrage Scheme(EPA under 1986)
2							0.00	11.32	11.32		RCC pillaring in boundary compensatory afforestation land for forest clerance of Amanat Barrage Scheme
3							0.00	7.50	7.50		Repair & Maintenance of two inspection vehicle(JH 03E 5113 & JH 03B 5043) and a 10KVA Generator
4							0.00	3.00	3.00		Repair & Maintenance of four computer, accessories, fax machine & photo copier machine
5							0.00	3.50	3.50		Payment of four number of chowkidars for control room & barrage site
कुल							**0.00**	**48.32**	**48.32**		

आवंटित राशि – रू अड़तालीस लाख बत्तीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय) संयुक्त सचिव	(अमिताभ कौशल) सचिव